संख्या-174**/2026/2849/41-2-2025-CN-1779166**

प्रेषक

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 23 मार्च, 2026**

विषय:-जनपद मीरजापुर के विन्ध्याचल परिक्षेत्र में हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4685/6-1-1/वि0धा0ती0वि0प0(394)/2023-24, दिनांक 29.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मीरजापुर के विन्ध्याचल परिक्षेत्र में हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य की परियोजनान्तर्गत नवीन चिन्हित भूमि के अनुसार ले-आउट प्लान एवं आगणन रू0 1227.56 लाख को उपलब्ध कराते हुए संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

2. जनपद मीरजापुर के विन्ध्याचल परिक्षेत्र में हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष अब तक व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	143/2024/383/41-2-2024-सीएन-1779166, दिनांक 16.03.2024	1227.56 (18 प्रतिशित जी0एस0टी0 सहित)	300.00

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मीरजापुर के विन्ध्याचल परिक्षेत्र में हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 1208.59 लाख (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण के विभिन्न स्तरों पर सतत मार्गदर्शन, क्वालिटी कंट्रोल, सिविल एविएशन के मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है या नहीं, इसका प्रमाणपत्र एवं निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) आगामी प्रत्येक किश्त के समय सिविल एवएिशन मंत्रालय के साथ बैठक कर उनकी संतुष्टि प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग-2 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश दिनांक 16.03.2024 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(4) प्रश्नगत परियोजना हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र दिनाँक 03-08-2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यों पर दिनाँक 18-07-2022 से जी०एस०टी० की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके दृष्टिगत लागत के आंकलन हेतु दिनांक 17-07-2022 तक सम्पादित कार्यों की लागत पर 12 प्रतिशत एवं दिनांक 18-07-2022 के पश्चात् पूर्ण हुए एवं अवशेष कार्यों की लागत पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है।

(6) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। पर्यटन निदेशालय का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील/ग्रिट इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये।

(7) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2023/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, दिये गये प्राविधानों के अनुसार पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण काया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(9) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को नहीं उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत करने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(12) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(14) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चि त किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(15) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रायोजना में धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत OLS (Obstacle Limitation Surface) Survey हेतु रू0 8.00 लाख अनुमन्य किया गया है, जो वास्तविकता/न्यूनतम आवश्यकता के अुनसार देय होगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत ध्वस्तीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अत: ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-158/2023/993/23-5-23-50(40)ईजी0/08, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायागा।

(19) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(20) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/ उपनिदेशक,पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-7-246/दस-2025-26, दिनांक 17.03.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा**0** मंत्री, पर्यटन विभाग, उ**0**प्र**0** शासन।
4- जिलाधिकारी, मीरजापुर ।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- निदेशक, कन्स्ट्रक्शन डिजाइन सर्विसेज (सी**0** एण्ड डी0एस0), उ**0**प्र**0** जल निगम, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक पर्यटन, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
9- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।